प्रथम पत्रक

कार्यालय अंचल अधिकारी, जरीडीह

अनुसूची 14 – फारम सं0 562

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला – बोकारो

केस का प्रकार – जमाबंदी सृजन वाद सं0 18/2024.–25

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3
29/08/24	आवेदक विद्याधर महतो, पिता स्व0 नकुल महतो, सा0 गांगजोरी, थाना जरीडीह, जिला बोकारो के द्वारा प्राप्त आवेदन मौजा गांगजोरी, खाता सं0 48 कुल रकवा 1.26½ एकड़ भूमि की जमाबंदी ऑफलाईन पंजी II के पृष्ठ सं0 3/1 पर मो0 चान्दमनी, पति सुखारी महतो के नाम से कायम है, जिसका लगान रसीद वर्ष 2012–13 तक निर्गत है, का ऑनलाईन पंजी II में जमाबंदी दर्ज करने से संबंधित है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मॉग करें। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अभिलेख उपस्थापित करें। 29/08/24 अंचल अधिकारी जरीडीह।	
16/01/25	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में सर्वसाधारण सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 30/01/25 को उपस्थापित करें। 16/01/25 अंचल अधिकारी जरीडीह।	

18/24-25

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
30.01.2025	अभिलेख उपस्थापित किया गया। राजस्व उप निरीक्षक एवं प्र0 अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदित भूमि मौजा– गांगजोरी, थाना नं0– 92 अन्तर्गत खाता नं0– 48, प्लॉट नं0– 602 रकवा– 16.50 डी0, प्लॉट नं0– 619 रकवा– 40 डी0, प्लॉट नं0– 851 रकवा– 20 डी0, प्लॉट नं0– 1021 रकवा– 17 डी0 एवं प्लॉट नं0– 1030 रकवा– 33 डी0 कुल रकवा– 1.26½ एकड़ भूमि सर्वे खतियान में डोमन महतो वल्द दुखन महतो कौम कुम्हार के नाम से रैयती खाते के अन्तर्गत दर्ज है। आवेदक के दादी चांदमनी देवी पति सुखारी महतो को केवाला सं0– 3160 दिनांक– 31.07.1961 केवाला सं0– 2102 दिनांक– 25.05.1954 एवं केवाला सं0– 2346 दिनांक– 05.06.1957 के द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि की जमाबंदी भौतिक पंजी II के पृष्ठ सं0– 03/1 पर चांदमनी देवी पति सुखारी महतो के नाम से दर्ज है, लगान रसीद वर्ष 2012–13 तक निर्गत है। भौतिक पंजी II एवं शपथ पत्र सं0– 4920 दिनांक– 20.08.2024 के आधार पर ऑनलाईन पंजी II में जमाबंदी सृजित किया जा सकता है। अतः राजस्व निबंधन भूमि सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड़ सरकार के आदेश ज्ञापांक– 1857 दिनांक– 29.07.2020 में दिए गये दिशा निर्देश तथा राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, भौतिक पंजी II आवेदक द्वारा समर्पित कागजात एवं राजस्व हित में उक्त भूमि के जमाबंदी का सृजन "चांदमनी देवी पति सुखारी महतो" के नाम से ऑनलाईन पंजी II में प्रविष्टि करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित एवं शुद्धित। 30.01.2025 अंचल अधिकारी जरीडीह। 30.01 अंचल अधिकारी जरीडीह।	

Digitally signed by PRANAV RITURAJ
Date: 2025.05.09 13:01:36 +05:30
Location: 192.168.1.10